

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।**  
पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0  
अपील संख्या:-322/2015 (2015/00230)75/केकड़ी

समस्त ग्रामवासियान ग्राम भोंपा का झौपड़ा जरिये प्रतिनिधिगण:-

- 1.रामनिवास पुत्र हरिकिशन जाति रेगर उप सरपंच ग्राम पंचायत सदारा।
- 2.पीरू मौहम्मद पंच वार्ड संख्या 4 ग्राम पंचायत, सदारा।
- 3.गोपाल मीणा, पंच वार्ड संख्या 5 ग्राम पंचायत, सदारा।
- 4.हीरा पुत्र छगना पंच वार्ड संख्या 09 ग्राम पंचायत, सदारा।
- 5.रामकिशन पुत्र हरदेव
- 6.रतनलाल पुत्र भूरालाल
- 7.सुवालाल पुत्र औंकार
- 8.लखमाराम पुत्र उदा
- 9.भादूराम पुत्र कानाराम
- 10.रामेश्वर पुत्र उगमा
- 11.मदनलाल पुत्र माधू जाति मीणा निवासी, भोंपा का झौपड़ा, तन सदारा, तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

- 1.श्रीमती मौसिना बानो पुत्री श्री सलीम जाति मुसलमान निवासी सदारा, तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
- 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर।
- 3.आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी आदेश दिनांक 29.01.2013.

उपस्थित:-

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ एडवोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 02, 03 की ओर से।
3. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थिति।

**निर्णय**

दिनांक: 22.07.2019

01. अपीलांट ने यह अपील आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी आदेश दिनांक 29.01.2013 से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।
02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत के पंच एवं भगवान श्री देवनारायण के सेवक ग्राम भोंपा का झौपड़ा तन सदारा के निवासी होकर सार्वजनिक हित की आराजीयात के लिए किए गलत आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह अपील आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 29.01.2013 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राज.भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश की है।
03. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेन्टस को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए किन्तु दौराने बहस अपील उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी।


  
राजस्थान न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

04. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि ग्राम सदारी से ग्राम महरूकलां मुख्य सड़क मार्ग के पश्चिम में लगते हुए श्री देवनाराण भगवान का विशाल मंदिर है एवं पूर्व दिशा में उक्त सड़क मार्ग से लगती हुई ग्राम सदारी डामर रोड़ अवस्थित है, इस प्रकार मौके पर लगभग चौराहे की झलक दिखाई देती है। उक्त सदारी रोड़ से आगे उत्तर दिशा की ओर ग्रेवल रोड़ जा रही है जो ग्राम भोंपा का झौपड़ा तक जाती है। उक्त ग्रेवल रोड़ एवं सदारी रोड़ तथा प्रतीक्षालय एवं प्याऊ इत्यादि सभी खसरा नम्बर 37 की भूमि पर अवस्थित है एवं उक्त भूमि सदारा से महरूकलां मार्ग की पूर्वी सीमा से लगती हुई है एवं शेष जो आराजीयात है वह भगवान श्री देवनारायण जी की बनी कहलाती है। जिस पर मवेशी वगैरह चरते हैं तथा काफी वृक्ष प्राकृतिक रूप से लगे हुए हैं, जो विशाल रूप लिए हुए हैं इनकी छाया में भगवान देवनारायण के दर्शन करने वाले भक्तगत तथा ग्राम भोंपा का झौपड़ा, सदारा, सदारी एवं राहगीर इत्यादि आराम करते हैं इसी खसरा नम्बर में प्रतीक्षालय एवं प्याऊ भी अवस्थित है। उक्त भूमि में से 0.30 है.भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गैर कानूनी रूप से दिनांक 29.01.2013 को रेस्पोजेन्ट संख्या 01 को आवंटन कर दी गई लेकिन सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की भूमि होने के कारण तथा ग्रामीण मुख्य सड़क मार्गों पर अवस्थित होने के कारण वहाँ कृषि कार्य किया जाना कतई संभव नहीं है एवं आवंटी ने आज दिनांक तक कोई कृषि कार्य नहीं किया है।


अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस को बढ़ाते हुए बताया कि आवंटन सलाहकार समिति का उक्त भूमि का आवंटन करने का कोई इरादा नहीं था ना ही इस भूमि बाबत उद्घोषणा जारी की गई थी न ही किसी प्रकार की जाँच की गई थी, न ही किसी प्रकार की जाँच में उक्त आराजीयात को आवंटन योग्य होना बताया गया था, चूँकि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा ग्राम सदारी स्थित भूमि खसरा नम्बर 2554 रकबा 1.45 है० में से 0.73 है. आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त फार्म में अंकित उक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 2554 रकबा 1.45 है० पर गोले बनाकर उनके स्थान पर खसरा नम्बर 37 कुल रकबा 0.65 है० में से 0.30 है० अंकित कर दिया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 29.01.2013 में अनुसूचित जाति या जनजाति का सहवृत सदस्य होना अत्यन्त आवश्यक है जिसके अभाव में सम्पूर्ण आवंटन आदेश त्रुटिपूर्ण तथा अपूर्ण होकर काबिल निरस्त योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 29.01.2013 बहक रेस्पोजेन्ट संख्या 01, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.30 है. स्थित ग्राम सदारी को निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजीयात अधिकार अभिलेख में सड़क मार्ग, श्री देवनारायण जी की बनी, प्रतीक्षालय, प्याऊ इत्यादि सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग के रूप में किस्म अंकित करते हुए दर्ज की जाने का आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.बी.जे.2012 पेज 196 जा.दी. एवं आर.एल.डब्ल्यू.2011(11) पेज 1389 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

05. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि देवनारायण की बनी कहलाती है तथा प्रार्थीगण श्री देवनारायण भगवान के सेवक तथा ग्राम पंचायत सदारा के पंचगत हैं जिनके हित पुश्तैनी तौर से उक्त भूमि से जुड़े हुए हैं जिससे सभी ग्राम वासी व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते हैं। प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जना न्यायोचित है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार होने से उक्त अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करावें।

06. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी के आवंटन की जानकारी ग्राम वासियों को पूर्व में नहीं थी लेकिन आवंटी द्वारा बिना काश्त किए एक ट्रौली पत्थर डालकर भूमि पर दिनांक 2.08.2015 को चारदीवारी करने हेतु बनाने लगे, तब ग्राम वासियान द्वारा भागदौड़ करने पर जानकारी मिली की विवादित भूमि का आवंटन कर दिया गया है तत्पश्चात नकले इत्यादि प्राप्त कर केकड़ी अभिभाषक की राय के अनुसार ग्राम वासी तथा पंचगण अजमेर आकर अभिभाषक से मिले जिन्होंने दिनांक 23.08.2015 को अपील तैयार करवाई और आज जानकारी से अन्दर मियाद सेवा में प्रस्तुत है। गुणावगुण पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील प्रस्तुति में लगा समय क्षमा फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।


  
विद्वान अभिभाषक  
अजमेर

07. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने दौराने जवाब अपील निवेदन किया कि अपीलांटस अपील में अंकित विवादित आराजी से किसी प्रकार से भी पीड़ित नहीं है तथा अपील भी मियाद बाहर पेश की गई। प्रार्थना पत्र में विलम्ब के कारण सद्भाविक नहीं है। विवादित आराजी सिवायचक होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन के प्रावधानों के तहत विधि सम्मत आवंटन किया है जिसमें किसी प्रकार त्रुटि कारित नहीं की है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।
08. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। बाद अवलोकन अपीलांटस ने यह अपील सार्वजनिक हित होने के कारण प्रस्तुत की है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को न्यायहित में स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे सद्भाविक एवं उचित प्रतीत होते हैं। अतः अपील में हुआ विलम्ब न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
09. गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन करने से पूर्व पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट तलब की गई तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ही भू-आवंटन सलाहकार समिति ने विधि सम्मत आवंटन किया है। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ही अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात किया गया है। आवंटन से पूर्व सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गई है। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर निमानुसार प्रार्थना पत्र आंमत्रित कर जाँच करने के पश्चात भूमि का आवंटन किया गया। हमारे विचार से नियम 14 के उपनियम (4) के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि आवंटन निरस्त करने के लिए केवल तीन आधार अंकित किये गये हैं, प्रथम आधार यह है कि-आवंटी ने आवंटन छल अथवा मिथ्या व्यपदेसन (misrepresentation) से प्राप्त किया हों, दूसरा आधार यह है कि- आवंटन नियम विरुद्ध किया गया हों एवं तीसरा आधार यह है कि-आवंटी ने आवंटन शर्तों की अवहेलना की हों। विपक्षीगण ने जो आवेदन पत्र दिया उसमें ऐसा प्रकट नहीं किया कि छल अथवा व्यपदेसन (misrepresentation) से आवंटन कराया गया हों तथा किसी भी आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की अवहेलना की जाती है तो उसे इस आशय का नोटिस देना चाहिए और किस-किस आवंटी ने किस प्रकार आवंटन शर्तों की अवहेलना की, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार भू-आवंटन सलाहकार समिति, जरिये परगना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 29.01.2013 विधि सम्मत हैं जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अपील निरस्त योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।
10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी आदेश दिनांक 29.01.2013 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(बी.एल.मेहरड़ा) 22/7/19

राजस्व अपील प्राधिकरी,  
अजमेर

10. आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(बी.एल.मेहरड़ा) 22/7/19  
राजस्व अपील प्राधिकरी,  
अजमेर